संचिका सं0–12/प0–विविध–08–24/11...335(12)/पटना, दिनांक 2-4-12

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibiton of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 2401(15) पटना दिनांक 20.11.09 को विलोपित करते हुए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में **"राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति State Tobacco Control Coordination Committee (STCCC)"** क गठन किया जाता है ।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वंयसेवी संस्थाओं के निम्नांकित सदस्य होंगें :–

1.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना	–	सदस्य सचिव
3.	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार सरकार	–	सदस्य
4.	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/नोडल ऑफीसर, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, बिहार	–	सदस्य सह–समन्वयक
5.	राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, बिहार	–	सदस्य
6.	पुलिस महानिदेशक/अपर महानिदेशक, मुख्यालय/गृह विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि	–	सदस्य
7.	खाद्य/औषधि नियंत्रक, बिहार सरकार, पटना	–	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार	–	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/निदेशक, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार	–	सदस्य
10.	प्रधान सचिव/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार	–	सदस्य
11.	प्रधान सचिव/निदेशक, ग्रामीण पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	–	सदस्य
12.	राज्य पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि	–	सदस्य
13.	बिहार राज्य परिवहन निगम के प्रतिनिधि	–	सदस्य
14.	प्रधान अन्वेषक, तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र, पटना	–	सदस्य
15.	कार्यपालक निदेशक, बिहार भोलेन्ट्री हेल्थ एसोसियेशन, पटना (NGO)	–	सदस्य

STATE HEALTH SOCIETY BIHAR PATNA 28 9.4.12

16. कार्यपालक निदेशक, सीड्स, पटना (NGO) – सदस्य

17. कार्यपालक निदेशक, कैन्सर एवेयरनेस सोसाइटी, पटना – सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है :–

- COTPA-2003 को पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कराने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना ।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यो का प्रभावी रूप से कियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि **केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये ।**
- सभी जिलों की अनुश्रवण/रहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है ।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढ़ंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामलों में फैसला लिया गया है ।
- तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा स्थानीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना ।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा–5 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई शुरू करने तथा उचित सलाह देने हेतु ।
- STCCC की त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना तथा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना ।
- तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष/Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराना ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

08/4/12

(बिमला प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–24/11 325(12)/पटना, दिनांक– 2-4-12

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के लिए अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 300 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध कराया जाय ।

02/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव ।